वित्तीय स्वीकृति

संख्या– / /XVII-3/2017–07(65)/2015

प्रेषक,

कै0 आलोक शेखर तिवारी,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

अल्पसंख्यक कल्याण अनुभाग

देहरादूनः दिनांकः २२ ~~नवम्बर~~ दिसम्बर, 2017

विषय– वित्तीय वर्ष 2017–18 के आय–व्ययक में 'पन्द्रह सूत्रीय कार्यक्रम के कियान्वयन पर व्यय' योजनान्तर्गत प्राविधानित धनराशि की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–1023/नि.अ.क./15–सू.कि.स./2017–18, दिनांक 09.11.2017 तथा वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्याः 610/3(150)/XXVII(1)/2016, दिनांक 30.06.2017 की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल वित्तीय वर्ष 2017–18 के आय–व्ययक में उक्त योजनान्तर्गत 'राजस्व' पक्ष में प्राविधानित धनराशि ₹ 20.00 लाख (₹ बीस लाख मात्र) के सापेक्ष धनराशि ₹ 6.61 लाख (₹ छः लाख इकसठ् हजार मात्र) को निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन नियमानुसार व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :–

1. उक्त स्वीकृत धनराशि से वर्ष 2015–16 एवं 2016–17 में "15 सूत्रीय कार्यक्रम कियान्वयन समिति" में शासन द्वारा नामित मा. उपाध्यक्षों को नियमानुसार अनुमन्य सुविधाओं के सापेक्ष ही भुगतान किया जायेगा। यदि अनुमन्य सुविधाओं के अतिरिक्त अन्य किसी मद में धनराशि का भुगतान किया जायेगा, तो उसका पूर्ण उत्तरदायित्व निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण एवं वित्त अधिकारी, निदेशालय, अल्पसंख्यक कल्याण का होगा।
2. उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय करते समय उपरोक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 30.06.2017 में दिये गये दिशा–निर्देशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित किया जाएगा।
3. उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय योजनान्तर्गत ही किया जायेगा और किसी भी दशा में उक्त धनराशि का उपयोग अन्य कार्यों के कार्यान्वयन के लिए नहीं किया जाए।
4. उक्त आवंटित धनराशि किसी ऐसी मद पर व्यय करने से पूर्व वित्तीय हस्त पुस्तिका के अंतर्गत शासन या अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक हो तो ऐसा व्यय अपेक्षित स्वीकृति प्राप्त करके ही किया जाए।
5. उक्त धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता है, कि जिसे व्यय करने से पूर्व बजट मैनुअल या वित्तीय हस्तपुस्तिका अथवा मूल आदेशों के अधीन सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त किया जाना आवश्यक हो। ऐसे में सक्षम अधिकारी की स्वीकृति व्यय के पूर्व प्राप्त कर ली जायेगी तथा धनराशि माहवार आवश्यकतानुार ही आहरित की जायेगी।
6. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय आवंटित सीमा तक उसी मद के लिए किया जायेगा, जिसके लिये यह स्वीकृति दी जा रही है।
7. धनराशि का व्यय करते हुए उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 एवं इस संबंध में समय–समय पर निर्गत आदेशों का पालन कड़ाई से किया जाय।

8. स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31.03.2018 तक उपयोग करके नियमानुसार उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को प्रस्तुत कर दिया जायेगा।

9. उक्त धनराशि के सापेक्ष समस्त व्यय की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में शासन को प्रस्तुत किया जायेगा।

2– इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 के आय–व्ययक में 'अनुदान संख्या–15' के 'राजस्व पक्ष' "लेखाशीर्षक–2250–अन्य सामाजिक सेवायें–00–800–अन्य व्यय–00–09–पन्द्रह सूत्री कार्यक्रम के कियान्वयन पर व्यय" के मानक मद "20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता" के नामे डाला जायेगा।

3– यह आदेश शासनादेश संख्या–183/XXVII-I/2012 दिनांक 28.3.2012 द्वारा विहित व्यवस्था के क्रम में www.cts.uk.gov.in से सॉफ्टवेयर के माध्यम से उपरोक्त स्वीकृति/बजट आवंटन हेतु निर्गत विशिष्ट नम्बर/अलॉटमेंट आई.डी. संख्याः S1712150250 ,दिनांक 26 नवम्बर, 2017 तथा वित्त विभाग के उक्त शासनादेश दिनांक 30.06.2017 के द्वारा प्राप्त दिशानिर्देशों के क्रम में निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्न– यथोक्त।

भवदीय,

(कै0 आलोक शेखर तिवारी)
अपर सचिव।

पृष्ठांकन संख्याः–2300 / XVII-3/2017, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी उत्तराखण्ड, ओबराय भवन, माजरा, देहरादून।
2. महालेखाकार, आडिट उत्तराखण्ड, इन्द्रानगर, देहरादून।
3. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाऐं, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. बजट, राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
5. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
6. नोडल अधिकारी, 15 सूत्रीय कार्यक्रम कियान्वयन समिति, उत्तराखण्ड शासन।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(जी.एस. भाकुनी)
उप सचिव।